कार्यालय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

ई–पंजीकरण की सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा संचालित ग्रीनवुड अपार्टमेन्ट आवासीय योजना के अन्तर्गत बचे **HIG 3 BHK (G+14)** व **SUPER-HIG 4 BHK (G+14)** श्रेणी के सम्पत्ति का ई–लाटरी के माध्यम से आवंटन हेतु दिनांक–01.11.2024 से दिनांक–30.11.2024 तक ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था। पुनः दिनांक–03.12.2024 से दिनांक–02.01.2025 तक खोला जा रहा है। उक्त आवासीय सम्पत्ति की सम्पन्न होने वाली ई–लाटरी की सूचना अलग से दी जायेगी। उपलब्ध सम्पत्ति का विवरण प्राधिकरण, नियम शर्त व अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट **www.gdagkp.in** पर उपलब्ध है, जिस पर इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।

02/12/24

(यू0पी0 सिंह)
पी0सी0एस0
सचिव

(आनन्द वर्द्धन)
आई0ए0एस0
उपाध्यक्ष

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित ग्रुप हाउसिंग (ग्रीन वुड अपार्टमेन्ट) आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत 3बी0एच0के0 एवं 4बी0एच0के0 फ्लैटों का ई–लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

पंजीकरण प्रारम्भ दिनांक–03.12.2024 पंजीकरण समाप्ति दिनांक–02.01.2025

आवासीय फ्लैटों का विवरण:–

सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	कारपेट एरिया (वर्ग मीटर में)	बिल्ट–अप एरिया (वर्ग मीटर में)	अनुमानित मूल्य	पंजीकरण धनराशि		आवंटन की धनराशि 25 प्रतिशत	अवशेष धनराशि(रूपये में) आवंटन के पश्चात्					कब्जे के समय भवन की लागत का अवशेष मूल्य (रूपये में)	
					सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग		1 06 माह पश्चात 10%	2 01 वर्ष पश्चात् 10%	3 $1\frac{1}{2}$ वर्ष पश्चात् 10%	4 02 वर्ष पश्चात् 10%	5 $2\frac{1}{2}$ वर्ष पश्चात् 10%	सामान्य वर्ग 15%	आरक्षित वर्ग 20%
HIG 3B.H.K.	248	93.86	129.66	96,17,601.00	9,61,760.00	4,80,880.00	24,04,400.00	9,61,760.00	9,61,760.00	9,61,760.00	9,61,760.00	9,61,760.00	14,42,640.00	19,23,520.00
SUPER HIG 4B.H.K.	100	125.38	157.67	1,13,68,935.00	11,36,894.00	5,68,447.00	28,42,234.00	11,36,894.00	11,36,894.00	11,36,894.00	11,36,894.00	11,36,894.00	17,05,340.00	22,73,787.00

मुख्य आकर्षण:–

तारामण्डल, गोरखपुर में प्रस्तावित इण्टरनेशनल कन्वेंशन सेन्टर, मुक्ताकाशी मंच के पास, सन्निकट 5 स्टार मैरियट होटल, बाबा गम्भीरनाथ प्रेक्षागृह, सर्किट हाउस, नया सवेरा, वाटर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, चिड़िया घर, माइवन पद्धति से "ग्रीन वुड" 14 बहुमन्जिली ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेन्ट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त लिफ्ट व अग्निशमन की सुविधाओं से परिपूर्ण। सभी फ्लैटों के साथ सर्वेन्ट रूम की सुविधा भी होगी। योजना में स्वीमिंग पुल, क्लब, जिम पार्क, डबल हाईट लॉबी एवं पार्किंग की भी उचित व्यवस्था होगी।

पंजीकरण हेतु क्या करें:–

1– पंजीकरण विवरण पुस्तिका रू0–500.00 (जी0एस0टी0 सहित) किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित अवधि के अन्दर ऑनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करके प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdagkp.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

2– निर्धारित पंजीकरण धनराशि ऑनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करना होगा।

3– विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में सहायक सम्पत्ति अधिकारी/सहायक जन सम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

सम्पर्क करें:–	फोन नं0 0551–2230133,	टोल फ्री नं0–18001202246

सचिव 02/11/24 उपाध्यक्ष

KEY PLAN

M/S. GDA COLLECTION AC FOR GW RES SCHEME

ACCOUNT NO : 99943000012345 | **BANK :** HDFC BANK | **RTGS/NEFT IFSC :** HDFCO000284

Easy Finance Availability from all leading Banks

ICICI Bank | State Bank of India | Indian Bank | PNB | HDFC BANK | Canara Bank | Bank of Baroda | AXIS BANK

Address : Gorakhpur Development Authority, Gorakhpur-273016
Ramgarhtal Pariyojna, Taramandal, District-Gorakhpur, U.P.
Mob : 0551-2230127 | Email : Gdagorakhpur@gmail.com | Website : www.gdagkp.in

This brochure is purely conceptual. all the images, layout are just for an idea. GDA can change the specification or amenities without prior information.

GDA

UPRERA No. :
UPRERAPRJ839480/07/2024
www.up-rera.in

GREENWOOD

Ramgarhtal Pariyojna, Taramandal, Gorakhpur

GREENWOOD

Ramgarhtal Pariyojna, Taramandal, Gorakhpur

ULTRA LIVING

LUXURY

IN HORMONY WITH

NATURE

Filling every day with moments of joy, Greenwood lays great emphasis on creating a vibrant and joyous lifestyle. Ensuring refreshing greenery and aesthetic surroundings to lift your spirit, Greenwood brings to you the finest things in life. Your constant quest to live in a perfect home, in a lifestyle that makes each day a memorable one, comes to you in Greenwood residencies.

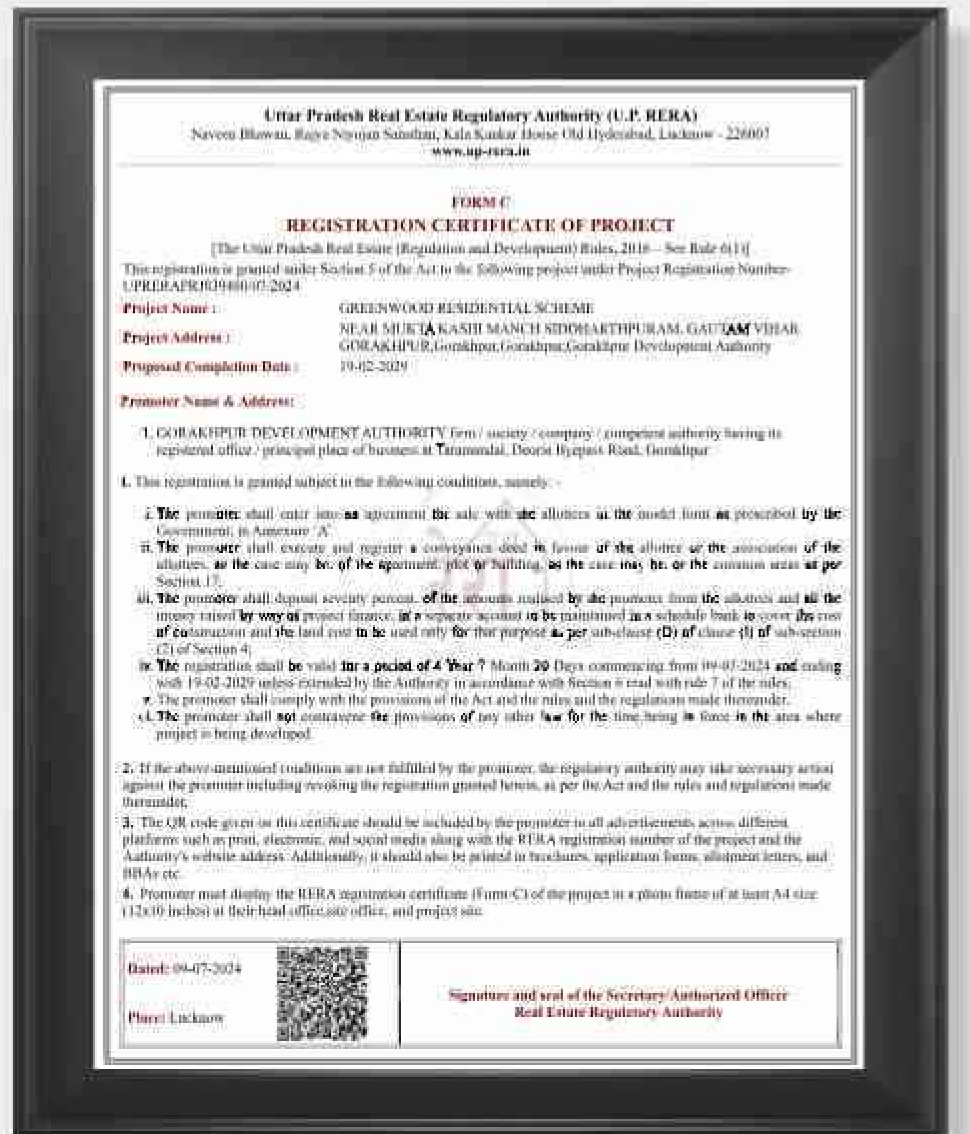

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (U.P. RERA)
Naveen Bhawan, Rajya Niyojan Sansthan, Kala Kankar House Old Hyderabad, Lucknow - 226007
www.up-rera.in

FORM C

REGISTRATION CERTIFICATE OF PROJECT

[The Uttar Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2016 – See Rule 6(1)]

This registration is granted under Section 5 of the Act to the following project under Project Registration Number- UPRERAPRJ939400/07/2024

Project Name : GREENWOOD RESIDENTIAL SCHEME

Project Address : NEAR MUKTA KASHI MANCH SIDDHARTHPURAM, GAUTAM VIHAR GORAKHPUR,Gorakhpur,Gorakhpur,Gorakhpur Development Authority

Proposed Completion Date : 19-02-2029

Promoter Name & Address:

1. GORAKHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY firm / society / company / competent authority having its registered office / principal place of business at Taramandal, Deoria Bypass Road, Gorakhpur

1. This registration is granted subject to the following conditions, namely: -

i. The promoter shall enter into an agreement for sale with the allottees in the model form as prescribed by the Government, in Annexure 'A'.
ii. The promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the allottee or the association of the allottees, as the case may be, of the apartment, plot or building, as the case may be, or the common areas as per Section 17;
iii. The promoter shall deposit seventy percent. of the amounts realised by the promoter from the allottees and all the money raised by way of project finance, in a separate account to be maintained in a schedule bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per sub-clause (D) of clause (l) of sub-section (2) of Section 4;
iv. The registration shall be valid for a period of 4 Year 7 Month 20 Days commencing from 09-07-2024 and ending with 19-02-2029 unless extended by the Authority in accordance with Section 6 read with rule 7 of the rules;
v. The promoter shall comply with the provisions of the Act and the rules and the regulations made thereunder.
vi. The promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force in the area where project is being developed.

2. If the above-mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the regulatory authority may take necessary action against the promoter including revoking the registration granted herein, as per the Act and the rules and regulations made thereunder;

3. The QR code given on this certificate should be included by the promoter in all advertisements across different platforms such as print, electronic, and social media along with the RERA registration number of the project and the Authority's website address. Additionally, it should also be printed in brochures, application forms, allotment letters, and BBAs etc.

4. Promoter must display the RERA registration certificate (Form-C) of the project in a photo frame of at least A4 size (12x10 inches) at their head office,site office, and project site.

Dated: 09-07-2024

Place: Lucknow

Signature and seal of the Secretary/Authorized Officer
Real Estate Regulatory Authority

LUXURIOUS LIVING, NATURALLY INSPIRED

With wellness at its core, the state-of-the-art club offers you the best in fitness and rejuvenation. Keep your body, mind and spirit in balance all day. Immerse in clear, pristine beauty and float in the pool of serenity, unwind and relax with fitness, yoga in park, Open area. Our outdoor and indoor activities give you an engaging environment where the mind and body can unravel life's mysteries.

Give your children the space to interact in the children's play area. Greenwood brings all the premium sporting, clubbing, leisure facilities and world class amenities well within reach of a select few.

- 24X7 CCTV SURVEILLANCE
- 24X7 WATER SUPPLY
- RAIN WATER HARVESTING
- UNDERGROUND DRAINAGE SYSTEM
- PAVER ROAD & ROAD SIDE PLANT
- ENTRANCE LOBBY
- SECURITY GATE
- SWIMMING POOL
- CLUB/MULTIPURPOSE HALL
- GYM
- CHILDREN'S PLAY AREA

DISTANCE FROM
IMPORTANT PLACES

Shiv Temple Civil Lines	:	3.00 Kms
Gorakhnath Temple	:	8.30 Kms
Gorakhpur Railway Station	:	4.50 Kms
Gorakhpur Airport	:	8.00 Kms
Medical facility	:	2.20 Kms
Carmel School	:	3.80 Kms

*All Distance are Approx

SPECIFICATIONS

Structure
RCC framed structure

Flooring
Living/Dining: Vitrified Tiles
Master bedrooms: Vitrified Tiles
Bedrooms: Vitrified Tiles
Balconies/Porch/Backyard: Anti-Skid Ceramic Tiles
Lobby: Vitrified Tiles

Walls/Ceiling
External: Textured Paint and Weather Proof paint
Internal: OBD

Kitchen
Flooring: Anti - skid Ceramic Tiles
Wall Finishes: Ceramic tiles Up to 600 mm height above the Counter area & OBD paint on balance area.
Fitting: Granite counter with stainless steel single sink.

Toilet
Wall: Ceramic tiles up to 6'ft
Flooring: Anti-Skid Ceramic Tiles
Fittings: EWC & Wash basin in white colour with single lever CP fittings

Doors
Main Door: Seasoned hardwood frames with laminated flush doors
Internal: Seasoned hardwood with Laminated Flush door.
Windows: Seasoned hardwood windows.

Electrical
Copper wiring in concealed conduits and Modular switches.
TV point in the Living room and Master bedroom
Provision for A.C., Washing Machine, Refrigerator and Water heater.
Provision for inverter line.

GREENWOOD
Ramgarhtal Pariyojna, Taramandal, Gorakhpur

3 BHK UNIT PLAN
CARPET AREA
93.86 SQ.MT.
1010.34 SQ. FT.

BUILT UP AREA
129.66 SQ.MT.
1395.66 SQ. FT.

LEGEND :-
A - BEDROOM
B - TOILET
C - TOILET
D - BALCONY
E - BEDROOM
F - SERVANT'S ROOM
G - TOILET
H - LIVING AREA
I - DINNING
J - KITCHEN
K - BEDROOM
L - TOILET
M - BALCONY

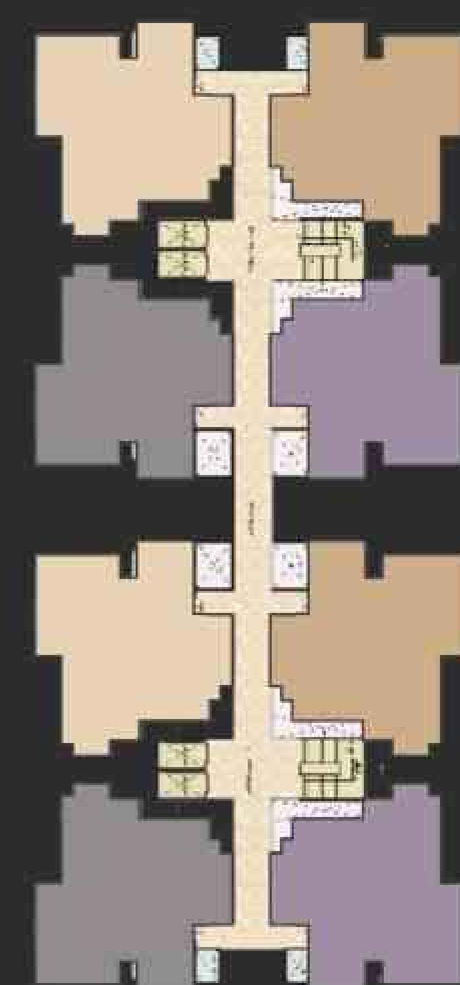

3BHK TYPE - 1
CLUSTER TYPICAL FLOOR PLAN

This brochure is purely conceptual. all the images, layout are just for an idea. GDA can change the specification or amenities without prior information.

3 BHK UNIT PLAN

CARPET AREA
93.86 SQ.MT.
1010.34 SQ. FT.

BUILT UP AREA
129.66 SQ.MT.
1395.66 SQ. FT.

LEGEND :-
- A - BEDROOM
- B - TOILET
- C - TOILET
- D - BALCONY
- E - BEDROOM
- F - SERVANT'S ROOM
- G - TOILET
- H - LIVING AREA
- I - DINNING
- J - KITCHEN
- K - BEDROOM
- L - TOILET
- M - BALCONY

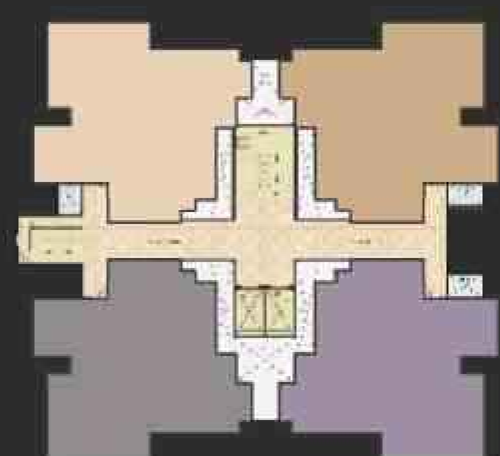

3BHK TYPE - 2 CLUSTER TYPICAL FLOOR PLAN

GREENWOOD

Ramgarhtal Pariyojna, Taramandal, Gorakhpur

4 BHK UNIT PLAN

CARPET AREA
125.38 SQ.MT.
1349.59 SQ. FT.

BUILT UP AREA
157.67 SQ.MT.
1697.15 SQ. FT.

LEGEND :-
- A - BEDROOM
- B - TOILET
- C - TOILET
- D - BEDROOM
- E - KITCHEN
- F - TOILET
- G - SERVANT'S ROOM
- H - TOILET
- I - BEDROOM
- J - LIVING AREA
- K - DINNING AREA
- L - BALCONY
- M - BEDROOM
- N - TOILET
- O - BALCONY

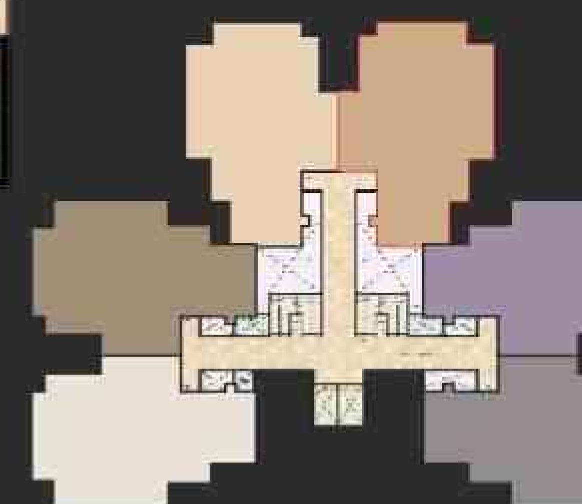

4 BHK CLUSTER TYPICAL FLOOR PLAN

This brochure is purely conceptual. all the images, layout are just for an idea. GDA can change the specification or amenities without prior information.

This brochure is purely conceptual. all the images, layout are just for an idea. GDA can change the specification or amenities without prior information.

आवासीय सम्पत्तियों के आवंटन हेतु नियम एवं शर्ते :-

1.आवेदन हेतु पात्रता:

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।
3. आवेदक अथवा उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक,उसके पति पत्नी तथा अव्यस्क बच्चे से है) के पास प्रश्नगत प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि विकसित कालोनियों में कोई अपना आवासीय सम्पत्ति नही होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में से एक से अधिक आवासीय सम्पत्ति नही होना चाहिए। यदि बाद में उसे किसी अन्य सम्पत्ति का आवंटन हो जाना पाया जाता है तो यह पंजीकरण/आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. फ्लैट के आवंटन हेतु केवल पति/पत्नी ही संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते है। अन्य किसी का संयुक्त आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

2. भुगतान व आवंटन की प्रक्रिया

1. आवासीय सम्पत्तियों के फीहोल्ड के लिए भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क आवंटन धनराशि के साथ ही जमा करना होगा।
2. किसी भी करों की देयता आवंटी को वहन करना है।
3. वांछित धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा न करने पर प्रदेशन पत्र के अनुसार प्रारम्भिक किश्त की धनराशि पर 12 प्रतिशत एवं शेष किश्तों पर 18 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।
4. आवासीय सम्पत्तियों का भुगतान ऑन लाइन उल्लिखित विवरण के अनुसार करना होगा।
5. अनुरक्षण पर होने वाले व्यय को भी आवंटियों द्वारा एक मुश्त नियमानुसार देना होगा।
6. नियमानुसार जी0एस0टी0 देय होगा।
7. पंजीकरण धनराशि आन लाईन ही जमा किया जाना होगा।

3.आरक्षण:

शासनादेश के अनुसार आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा :-

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसचित जाति	21 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जन जाति	02 प्रतिशत
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत
4.	मा0विधायक/मा0सांसद व स्वतंत्रता सग्राम सेनानी	05 प्रतिशत
5.	सरकारी सेवको तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो।	05 प्रतिशत
6.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,विकास प्राधिकरण,जल संस्थान, नगर निगम व स्थानीया निकायों के कर्मचारी	02 प्रतिशत
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03 प्रतिशत

8. विकलांगों को शासनादेश संख्या 786/आठ–1–08–25विविध/07 दिनांक 30.01.08 के अनुसार 03 प्रतिशत होरीजान्टल आरक्षण देय होगा।

9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाय परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10प्रतिशत आरक्षण वृद्धजनों के लिये उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण होरीजान्टल होगा।

9.1वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

9.2 आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

9.3 पैरा 9.1 का आरक्षण प्राप्त करने के लिए आयु प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।

4.आवंटन,कब्जा एवं निर्माण कार्य:

1. फ्लैटों का आवंटन सभी तलों को सम्मिलित करते हुए ई–लाटरी पद्धति द्वारा किया जायेगा जिसमें केवल पंजीकृत व्यक्ति ही भाग ले सकेगें।
2. आवंटित फ्लैट में किसी भी तरह का निर्माण या तोड़–फोड़ बिना प्राधिकरण के अनुमति के नही की जायेगी।
3. आवासीय सम्पत्ति का कब्जा नियमानुसार (पंजीकरण धनराशि, आवंटन धनराशि, फ्री होल्ड शुल्क एवं अन्य देय शुल्कों को नियमानुसार जमा करने के पश्चात) फ्लैट निर्माण के पश्चात पंजीकरण अनुबंध/विक्रय विलेख में देय स्टैम्प पेपर प्रस्तुत कर निबन्धन कराने एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त दिया जायेगा। निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।
4. सम्पत्ति का कब्जा निर्धारित तिथि तक न प्राप्त करने पर नियमानुसार सुपरविजन चार्ज देय होगा।

5.जमा धनराशि की वापसी

1. जमा की जाने वाली धनराशि प्राधिकरण के खाते में जमा होने की तिथि से अनुगामी माह की पहली तारीख से पूर्व वापस नहीं की जायेगी, किसी पंजीकृत आवेदक से ई–लाटरी में सफल न होने, निर्माण कार्य अथवा उसके स्थान में कोई परिर्वतन होने या, आवंटन हेतु आवेदक के अधिकृत होने की दशा में आवेदक अपनी जमा धनराशि एक वर्ष बिना ब्याज रू0–1,000.00 प्रशासनिक व्यय की कटौती के उपरान्त वापस ले सकता है।
2. सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात् एक माह के अन्दर धनराशि वापस लेने पर 20 प्रतिशत (पंजीकरण धनराशि पर) कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी, परन्तु जो आवंटी निर्धारित तिथि के अन्दर धनराशि जमा नही करते है और न ही आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर वापसी हेतु को लिखित सूचना देते है अथवा किन्ही कारणों से आवंटन निरस्त किया जाता है तो उन्हे पंजीकरण धनराशि से 20 प्रतिशत व सम्पत्ति मूल्य पर 13 प्रतिशत की दर से 2 माह के ब्याज की कटौती करते हुए उनका पंजीकरण/आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

6.तथ्यो का छिपाना:–

1. यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई भी विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो आवंटन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं अन्य कोई कार्यवाही (जो उचित समझे) कर सकते हे।
2. जमा की जाने वाली धनराशि प्राधिकरण के खाते में जमा होने की तिथि से अनुगामी माह की पहली तारीख से पूर्व वापस नहीं की जायेगी,किसी पंजीकृत आवेदक से लाटरी में सफल न होने, निर्माण कार्य में अथवा उसके स्थान में कोई परिवर्तन होने या, आवंटन हेतु आवेदक के अधिकृत न होने की दशा में

आवेदक अपनी जमा धनराशि एक वर्ष के अन्दर बिना ब्याज रू0–1,000.00 प्रशासनिक व्यय की कटौती के उपरान्त वापस ले सकता है।

7.शुल्क/कर आदि की देयता:–

नगर निगम अथवा किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।

8.अन्य सामान्य नियम व शर्ते:–

1. आवंटन के पश्चात गोरखपुर विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्ते/नियम तथा समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा किये गये संशोधन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होगें।
2. किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र गोरखपुर होगा।
3. पंजीकरण, आवंटन, कब्जा दिये जाने अथवा निर्माण के समय यदि किसी भी विषय पर विवाद उत्पन्न होता है तो उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
4. गोरखपुर विकास प्राधिकरण में पंजीकृत हर व्यक्ति को प्राधिकरण सम्पत्ति देने के लिए बाध्य नही है। यदि किसी आवेदक को सम्पत्ति नही मिल पाती है तो इसके लिए वह प्राधिकरण से किसी भी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
5. सम्पत्ति का अनुमानित विक्रय मूल्य मेटेरियल तथा लेबर की वर्तमान दरों पर आधारित है। मटेरियल तथा लेबर की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप यदि मूल्य बढ़ जाता है, तो बढ़ा हुआ मूल्य आवंटी द्वारा देय होगा, जो सभी प्रकार के विकास कार्य पूर्ण होनें के पश्चात निकाला जायेगा। वास्तविक विक्रय मूल्य तथा अनुमानित विक्रय मूल्य के अन्तर की धनराशि विक्रय विलेख से पूर्व आवंटी द्वारा देय होगा।
6. शर्तो में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को होगा।
7. पंजीकरण, आवंटन,कब्जा एवं विकास कार्य में विवाद अथवा अन्य किसी हानि क्षति देयक के भुगतान से सम्बन्धित विवाद का क्षेत्राधिकार गोरखपुर के स्थानीय न्यायालय में होगा। अन्य स्थान पर दायर कोई वाद विकास प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं होगा।
8. प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसी भी यन्त्र जनरेटर,कटर मशीन आदि का परिसर में लगाया जाना भारत सरकार के अधिसूचना सं0–293 दिनांक 12 जुलाई 2004 द्वारा प्रतिबन्धित है।
9. फ्लैटों को सार्वजनिक सुविधाओं यथा सीढ़ी,कामन पैसेज की विजली,जलापूर्ति आदि का रख रखाव निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित आवंटियों द्वारा रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसियशन बनाकर उसके माध्यम से किया जायेगा।

9.पंजीकरण प्रकिया:–

1. पंजीकरण प्रपत्र रू0–500.00 प्राधिकरण निधि में आन लाइन जमा करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर **www.gdagkp.in** पर डाउनलोड कर सकते है।
2. शपथ पत्र तैयार कर ऑनलाइन पंजीकरण लोड किया जाना होगा।

10.आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश:–

1. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन नाम व पता पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगें।

2. शासनादेश के अनुकम में सम्पत्ति का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किये जाने की व्यवस्था है।
3. संयुक्त नाम (केवल पति व पत्नी) से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में दोनों आवेदको द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिए। पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किये गये आवेदक एवं आवेदक के पति/पत्नी का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाया जाना होगा।
4. आवेदन पत्र पर आवेदक एवं आवेदक के पति/पत्नी का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाया जाना होगा।
5. आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन ही जमा किया जाना होगा।
6. विशेष जानकारी हेतु सहायक सम्पत्ति अधिक्षक/सहायक सम्पत्ति अधिकारी/सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर से सम्पर्क कर सकते है।

उपाध्यक्ष,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर।

नोटः–गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर सम्पत्तियों के आवंटन एवं मानचित्र स्वीकृत नियमावली (31.03.98 व वर्तमान तक यथा संशोधित)की सभी शर्ते/शासनादेश यथावत प्रभावी होगी।

शपथ–पत्र

(शपथ पत्र का प्रारूप रू–10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से फोटो सहित सत्यापित कराकर आवेदन पत्र के साथ दे)

समक्ष, उपाध्यक्ष,गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर

मै श्री/श्रीमती/कुं0...पिता/पति का नाम.................................तथा व्यवसाय का विवरण...........................आयु...........................वर्ष,पूर्ण पता..मै...शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता/करती हूं।

1. मैने...............................योजना में प्रस्तावित फ्लैट.............................के आवंटन तथा तत्सम्बन्धी भूमि फ्रीहोल्ड के तारतम्य में यह शपथनामा प्रेषित कर रही/रहा हूँ।
2. यह कि मै बालिका हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
3. मै प्रार्थना–पत्र केवल अपने लिये ही दे रहा/रही हूँ और इसमें किसी प्रकार की बेनामी अधिकार नही है। मै यह शपथ सहित कहता/कहती हूँ कि मेरे अथवा मेरे पति/पत्नी व नाबालिग बच्चों में से किसी के नाम पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत कोई भी फ्लैट नही है, और न ही मैने/मेरी पत्नी, मेरे पति या नाबालिग बच्चे में से किसी ने फ्लैट के लिए अतिरिक्त प्रार्थना पत्र भी दिया है।
4. मुझे गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा .... योजना में फ्लैट देने की सभी शर्ते व नियम मान्य है।
5. मेरे व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में एक से अधिक आवासीय फ्लैट नही है और नही मै अथवा मेरा परिवार अरबन लैण्ड सीलिंग एण्ड रेगुलेशन एक्ट 1976 में निर्धारित सीमा से अधिक सम्पत्ति रखेंगे।
6. मै यह स्वीकार करता हूँ/करती हूँ कि फ्लैट का रख रखाव तथा उसे सुन्दर व स्वच्छ हालत में रखने क जिम्मेदारी मेरी होगी, और भवन के सम्पत्ति करों तथा अन्य जो भी कर देय होगे उसे देने का उत्तरदायी रहूंगा। जब तक मै फ्लैट की समस्त किश्तों व करो का पूर्ण भुगतान न कर दूँ, मै उपाध्यक्ष द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करता रहूँगा/करती रहूँगी।
7. यह कि मै घोषित करता/करती हूँ कि जब तक फ्लैट की समस्त किश्तो एवं करों का पूर्ण रूप से भुगतान कर नियमानुसार विक्रय विलेख न करा लूँ तब तक मुझे फ्लैट बेचने व गिरवी रखने का अधिकार न होगा, और न आवासीय फ्लैट में कोई अन्य निर्माण कार्य अथवा परिवर्तन उपाध्यक्ष की आज्ञा के बिना मै करूंगा/करूंगी, और न ही भवन के आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊंगा/लाऊंगी।
8. यदि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट का कब्जा निर्धारित समय के अन्तर्गत मांगा गया रूपया न जमा करूँ अथवा आवासीय फ्लैट रजिस्ट्रर न कराऊ तथा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त अथवा नियम उल्लंघन करूं तो उपाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि व मेरा/हमारे द्वारा जमा समस्त धन को जब्त कर ले तथा आवासीय फ्लैट का आवंटन रद्द करदे एवं पुनःकब्जा कर ले।
9. ऊपर मैने/हमने जो कुछ कहा यह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है,और उपरोक्त शपथ पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नही किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैने कोई महत्वपूर्ण प्रासंगिक बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारों के अतिरिक्त उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण को पूरा–पूरा अधिकार होगा कि पंजीकरण/आवंटन/रजिस्ट्रेशन एग्रीमेन्ट रद्द कर दे, पुनः कब्जा वापस कर ले, और इस सम्बन्ध में मेरे/हमारे द्वारा जमा धन को जब्त कर ले,और मेरे/हमारे विरूद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझे करे, उसमें मुझे कोई आपत्ति न होगी।

स्थान...................................

दिनांक.................................

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (U.P. RERA)
Naveen Bhawan, Rajya Niyojan Sansthan, Kala Kankar House Old Hyderabad, Lucknow - 226007
www.up-rera.in

FORM C

REGISTRATION CERTIFICATE OF PROJECT

[The Uttar Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2016 – See Rule 6(1)]

This registration is granted under Section 5 of the Act to the following project under Project Registration Number-UPRERAPRJ839480/07/2024

Project Name :	GREENWOOD RESIDENTIAL SCHEME
Project Address :	NEAR MUKTA KASHI MANCH SIDDHARTHPURAM, GAUTAM VIHAR GORAKHPUR,Gorakhpur,Gorakhpur,Gorakhpur Development Authority
Proposed Completion Date :	19-02-2029

Promoter Name & Address:

1. GORAKHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY firm / society / company / competent authority having its registered office / principal place of business at Taramandal, Deoria Byepass Road, Gorakhpur

1. This registration is granted subject to the following conditions, namely: -

i. The promoter shall enter into an agreement for sale with the allottees in the model form as prescribed by the Government; in Annexure 'A'
ii. The promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the allottee or the association of the allottees, as the case may be, of the apartment, plot or building, as the case may be, or the common areas as per Section 17;
iii. The promoter shall deposit seventy percent. of the amounts realised by the promoter from the allottees and all the money raised by way of project finance, in a separate account to be maintained in a schedule bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per sub-clause (D) of clause (l) of sub-section (2) of Section 4;
iv. The registration shall be valid for a period of 4 Year 7 Month 20 Days commencing from 09-07-2024 and ending with 19-02-2029 unless extended by the Authority in accordance with Section 6 read with rule 7 of the rules;
v. The promoter shall comply with the provisions of the Act and the rules and the regulations made thereunder.
vi. The promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force in the area where project is being developed.

2. If the above-mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the regulatory authority may take necessary action against the promoter including revoking the registration granted herein, as per the Act and the rules and regulations made thereunder.

3. The QR code given on this certificate should be included by the promoter in all advertisements across different platforms such as print, electronic, and social media along with the RERA registration number of the project and the Authority's website address. Additionally, it should also be printed in brochures, application forms, allotment letters, and BBAs etc.

4. Promoter must display the RERA registration certificate (Form-C) of the project in a photo frame of at least A4 size (12x10 inches) at their head office,site office, and project site.

Dated: 09-07-2024 **Place:** Lucknow	PRAMOD KUMAR UPADHYAY Digitally signed by PRAMOD KUMAR UPADHYAY Date: 2024.07.09 19:15:00 +05'30' **Signature and seal of the Secretary/Authorized Officer** **Real Estate Regulatory Authority**

HDFC BANK
We understand your world

M/S. GDA COLLECTION AC FOR GW RES SCHEME
GDA BUILDING
DEORIA BYPASS TARAMANDAL ROAD

GORAKHPUR 273001
UTTAR PRADESH INDIA

JOINT HOLDERS :

Account Branch : BANK ROAD
Address : HDFC BANK LTD, PRAHLAD RAI TRADE CENTRE, AYODHYA DAS CROSSING BANK ROAD, GORAKHPUR, UTTAR PRADESH
City : GORAKHPUR 273001
State : UTTAR PRADESH
Phone no. : 18002026161
OD Limit : 0.00
Currency : INR
Email : AOGDAGORAKHPUR@GMAIL.COM
Cust ID : 286322250
Account No : 99943000012345 OTHER
A/C Open Date : 08/05/2024 :
Account Status : Regular
RTGS/NEFT IFSC: HDFC0000284 MICR : 273240002
Branch Code : 284 Product Code : 1103

Nomination : Not Registered
Generated On: Generated By: R29316 Requesting Branch Code: 284
From : 08/05/2024 To : 27/05/2024

Statement of account

Date	Narration	Chq./Ref.No.	Value Dt	Withdrawal Amt.	Deposit Amt.	Closing Balance

STATEMENT SUMMARY :-

Opening Balance	Dr Count	Cr Count	Debits	Credits	Closing Bal
0.00					

This is a computer generated statement and does not require signature.